17/11/22 आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वास्ते सुनवाई दोनों पक्षकारगण वकील वादी ने उपस्थित हुए। उनकी पूर्व में भी कई बार उपस्थित, बादविक्षयन, न्यायालय में अन्तिम अवसर, कारणकार हेतु अन्तिम अवसर एवं अन्तिम अन्तिम, अनुपालना की हिदायत दिये जाने के उपरान्त भी दिनांक 07/09/2018 से जारी सुनवाई वाले आदेशों की पालना चार वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने पर भी नहीं की है। अतः वादी के वाद को अन्तिम अन्तिम अनुपालना सुनवाई आदेश 9 नियम 5 के सहत खारिज किया जाता है। प्रकरण की अन्तिम कार्यवाही इसी स्तर पर शेष की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद मुकमील जमा किया लेख भण्डार हो। सुनाया गया।